संख्या-19/2015/4807/71-2-14-आर0एम0-03/2013

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2015**

विषय- हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के उपचार हेतु पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2014/451, दिनांक 23.09.2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में हो रही बचतों से रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि मानक मद-39-औषधि तथा रसायन मद में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

3- संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी का उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/ समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केन्द्रीयकृत पद्वति के आधार पर एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा किया जायेगा एवं अन्य संस्थाओं को आवश्यकतानुसार औषधि एवं रसायन का वितरण किया जायेगा।

6- संस्थान द्वारा वर्तमान में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसका उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.07.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-150-151 के प्राविधानों का यथा अनुमन्य अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

10- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-19- हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा-39 औषधि तथा रसायन मद के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/166/2015 दिनांक 03 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्या-19/2015/4807(1)/71-2-14-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **कोषाधिकारी, लखनऊ**
3. **वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **निदेशक/वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।**
5. **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
6. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4**
7. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।